उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-148/2018/2405/92-2-18-89(जॉच)/2016,
लखनऊ:: दिनांक:: 26 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड-कर्वी के ग्राम पंचायत हिनौतामाफी में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में हुई शासकीय क्षति, कार्य पर क्वालिटी इन्शोरेन्स रजिस्टर न बनाने एवं निर्धारित मात्रा में मापी चेकिंग न किये जाने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-79/2016/2213/92-2-2016-89जांच/2016, दिनांक 19.12.2016 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड अलीगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-355/92-2-2017-89(जांच)/2016, दिनांक 01.03.2017 द्वारा श्री बालकृष्ण के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-कानपुर की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 08.11.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-05 आरोपों में से आरोप संख्या-1 पूर्ण रूप से एवं आरोप संख्या-5 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया, किन्तु आरोप संख्या-2, 3, एवं 4 को प्रमाणित नहीं पाया। प्रमाणित पाये गये आरोप तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या का विवरण निम्नवत है:-

आरोप संख्या-1

डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम हिनौतामाफी में पी0सी0सी0 की ऊपरी सरफेस खराब पाये जाने, पी0सी0सी0 1:2:4 में हनी काम्बिंग पाये जाने, लीन कांक्रीट 1:6:12 कमजोर पाये जाने, के0सी0 ड्रेन के ब्रिक वर्क के ऊपर 2.50 से0मी0 की मोटाई मे डाली गयी पी0सी0सी0 1:2:4 शक्ति में अत्यधिक कमजोर पाये जाने, सी0सी0 1:2:4 पूर्ण रूप से क्रैक एवं बैठी हुई पाये जाने तथा ज्वइन्ट समय से न काटे जाने के फलस्वरूप कुल रू0 51,968.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है जिसमें से रू0 3,898/- की क्षति के लिए श्री बालकृष्ण को आरोपित किया गया।

जांच अधिकारी की जांच आख्या:-

अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण द्वारा अपने प्रतिउत्तर में टी0ए0सी0 की जांच आख्या के आधार पर यह उल्लेख किया गया है कि सी0सी0 की मोटाई मानक के अनुरूप पायी गयी तथा सी0सी0 कार्य में लीन कंक्रीट तथा प्लास्टर की गुणवत्ता भी टेस्टिंग बी0आई0टी0 झांसी से कराये जाने पर मानक के अनुरूप पायी गयी। इसलिए टी0ए0सी0 द्वारा दृष्टि परीक्षण के आधार पर आंकलित शासकीय क्षति का प्रतिवाद किया गया है। अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण द्वारा टी0ए0सी0 द्वारा मदवार आंकलित शासकीय क्षति के संबंध में अपने प्रति उत्तर में कोई उत्तर नहीं दिया गया है तथा शासनादेश दिनांक 14.07.2009 की प्रति संलग्न करते हुए निर्माण कार्य 25 लाख से कम होने के कारण टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति में अभियन्ता का दायित्व नहीं निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य शासन की विशेष प्राथमिकता का कार्य था, जिसकी मानीटरिंग शासन के उच्चतम स्तर तक की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जा रही थी। ऐसी सिथति में अपचारी अधिकारी को शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित छूट अनुमन्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं शासकीय क्षति में उक्त शासनादेश के अनुरूप उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता का बनता है।

सी0सी0 कार्य की गुणवत्ता रासायनिक परीक्षण विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने के उपरान्त भी टी0ए0सी0 द्वारा सरफेस खराब होने के कारण एवं सी0सी0 कार्य की कुछ लम्बाई में हनी काम्बिंग पाये जाने तथा ज्वाइन्टस समय से न काटे जाने एवं 9.50 मी0 लम्बाई में सी0सी0 क्रैक हो जाने के कारण आंकलित शासकीय क्षति में अपचारी अधिकारी का उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि टी0ए0सी0 द्वारा इंगित उक्त कमियों का परीक्षण रासायनिक जांच में संभव नहीं है, परन्तु लीन कंक्रीट में टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं दिया गया है, इसलिए लीन कंक्रीट मद में इस प्रकार आंकलित शासकीय क्षति रू0 6,384.00 को छोड़कर टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित अवशेष शासकीय क्षति रू0 45,984.00 के अंश रू0 3,419.00 की शासकीय क्षति का आरोप अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण पर स्थापित होता है।

<u>आरोप संख्या-5</u>

उल्लिखित कार्य में अधिशासी अभियन्ता श्री बालकृष्ण द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के फलस्वरूप उ0प्र0 सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली के प्रस्तर-3 समान्य-1 का अनुपालन न करने हेतु आरोपित किया गया।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या:-</u>

अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण ने अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है कि नियमानुसार अनुबंध गठित करते हुये कार्यों का निरीक्षण किया गया है परन्तु जांच अधिकारी द्वारा अवर अभियन्ता को क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर उपलब्ध कराने के उपरान्त निरीक्षण के समय उसमें अंकन किया जाना चाहिए, जो कि श्री बालकृष्ण द्वारा नहीं किया गया है। अत: अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण का कथन स्वीकार्य योग्य नहीं है। अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-5 आंशिक रूप से स्थापित होता है।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 06.12.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 30.12.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण द्वारा अभिकथित किया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम हिनौतामाफी में पी0सी0सी0 की ऊपरी सरफेस खराब पाये जाने, पी0सी0सी0 1:2:4 में हनीकाम्बिंग पाये जाने, लीन कंक्रीट 1:6:12 कमजोर पाये जाने, के0सी0 ड्रेन के ब्रिक वर्क के ऊपर 2.50 से0मी0 की मोटाई में डाली गयी, पी0सी0सी0 1:2:4 शक्ति में अत्यधिक कमजोर पाये जाने, सी0सी0 1:2:4 पूर्ण रूप से क्रेक एवं बैठी हुई पाये जाने तथा ज्वइन्ट समस से न काटे जाने के फलस्वरूप कुल रू0 51,968.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है जिसमें से रू0 3898.00 की क्षति के लिए आरोपित किया गया।

बचाव उत्तर में श्री बालकृष्ण द्वारा अवगत कराया गया था कि अधिशासी अभियन्ता प्राविधिक परीक्षक प्रथम तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 17.08.2016 को श्री आर0पी0 अहिरवार, अवर अभियन्ता एवं श्री आनंद कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता की उपस्थित में जांच कार्य संपादित किया गया। जांच आख्या के पेज संख्या-18(3) के अनुसार रामसूरत के घर से राम संजीवन के घर तक की जांच की गई उसके अनुसार पी0सी0सी0 1:2:4 की मोटाई 10.10 से0मी0 एवं लीन कंक्रीट 1:6:12 की मोटाई 10.50 से0मी0 ब्लैकेंट कोट की मोटाई 10.50 से0मी0 प्लास्टर की मोटाई 12 मि0मी0 विभिन्न चैनेजों पर मापी गयी जो माप पुस्तिका/मानक के अनुसार पायी गयी। टेक्निकल आडिट सेल द्वारा इसी गली के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नमूने पी0सी0सी0 1:2:4 तथा लीन कंक्रीट 1:6:12 का नियमानुसार 45-45 किलोग्राम के नमूने एवं प्लास्टर 1:4 का नियमानुसार 1.5 किलोग्राम का नमूना मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों एवं अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के समक्ष लिये गये जिनकी टेस्टिंग विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग बी0आई0टी0, झांसी से करायी जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट जो कि जांच आख्या के पेज सं0 14(7) पर अंकित है। पी0सी0सी0 1:6:08 निर्धारित मानक 1:6 लीन कंक्रीट 1:18:05 निर्धारित मानक 1:18 तथा प्लास्टर 1:4:02 निर्धारित मानक 1:4 होना चाहिये, जो कि मानक के अनुसार लैब टेस्ट रिपोर्ट में आयें है। टेक्निकल आडिट सेल द्वारा शासकीय क्षति आंकलित की गई है वह दृष्टि परीक्षण के आधार पर रू0 51,968.00 आंकलित की गई है, जबकि रामसूरत के घर से राम संजीवन के घर तक मार्ग जिसकी लम्बाई 246.00 मी0 है उसी गली का सेम्पल टेस्टिंग हेतु दो स्थानों से लिया गया, जोकि मानक के अनुसार आया तथा टी0ए0सी0 द्वारा दृष्टिपरीक्षण में पी0सी0सी0 1:2:4 को शक्ति में कमजोर बताया जा रहा है। दोनो ही रिपोर्ट से संदेह की स्थिति पैदा होती है। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर द्वारा अपनी विवेचना में यह इंगित किया कि लीन कंक्रीट में टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 6,384.00 का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं दिया गया है, इसलिये लीन कंक्रीट मद में इस प्रकार आंकलित शासकीय क्षति रू0 6,384.00 को अमान्य किया गया है, अत: टी0ए0सी0 द्वारा जो दृष्टि परीक्षण के आधार पर जो आंकलित शासकीय क्षति रू0 51,968.00 है वह औचित्यपूर्ण नहीं है एवं स्वीकार योग्य नहीं है, जिससे श्री बालकृष्ण सहमत नहीं है। बचाव उत्तर में श्री बालकृष्ण द्वारा शासन के पत्र दिनांक 14.07.2009 लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों जिनकी परियोजना की लागत रू0 25.00 लाख से कम है शासकीय क्षति की वसूली 50 प्रतिशत ठेकेदार से तथा 50 प्रतिशत भाग में से 75 प्रतिशत अवर अभियन्ता तथा 25 प्रतिशत सहायक अभियन्ता से वसूली की जाय। वसूली के आदेश अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता से करने का अनुरोध किया था, जिसको जांच अधिकारी द्वारा यह इंगित किया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य शासन की विशेष प्राथमिकता का कार्य था, जिसकी मॉनीटरिंग शासन के उच्चतम स्तर तक की जा रही थी, ऐसी स्थिति में अपचारी अधिकारी को शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित छूट अनुमन्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, जिससे श्री बालकृष्ण सहमत नहीं है, क्योंकि शासनादेश में ऐसा कहीं भी इंगित नहीं है कि विशेष प्राथमिकता वाले कार्यों में यह शासनादेश का प्रस्तर-2 लागू नहीं होगा। अत: जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल कानपुर द्वारा जो शासकीय क्षति रू0 3,419.00 अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण पर निकाली गयी है वह शासनादेश के विपरीत है, जिससे वे सहमत नही है।

आरोप संख्या-5 के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अभिकथित किया है कि नियमानुसार अनुबंध गठित करते हुये कार्यों का निरीक्षण किया गया है, ससमय अवर अभियन्ता को क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर उपलब्ध कराते हुये कार्य को विधिवत कराया गया है जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल कानपुर द्वारा यह लिखना कि क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर उपलब्ध कराने के उपरांत निरीक्षण के समय अंकन किया गया जाना चाहिए के आधार पर आरोप आंशिक रूप से स्थापित होता है। उक्त टिप्पणी से अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण सहमत नहीं है क्योंकि निरीक्षण आख्या दिनांक 20.04.2016 में दी गयी है उस समय तक कार्य पूर्ण हो चुका था कार्य की गुणवत्ता के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा टिप्पणी अंकित कर दी गयी है कि प्रथम द्रष्टया कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक प्रतीत होती है। अत: जांच अधिकारी द्वारा आरोप आंशिक रूप से स्थापित होता है, से वह सहमत नहीं है।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 3419.00 की वसूली उनसे करने के साथ ही परिनिन्दा प्रविष्टि दिये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चिय किया गया। तत्पश्चात अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर पत्र दिनांक 08.02.2018 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 01.09.2018 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड "अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 3419.00 की वसूली उनसे करने के साथ ही परिनिन्दा प्रविष्टि दिया जाय।" पर सहमति व्यक्त की है।

5- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-79/2016/2213/92-2-2016-89जांच/2016, दिनांक 19.12.2016 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड अलीगढ़ के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 3419.00 की वसूली उनसे करने के साथ ही परिनिन्दा प्रविष्टि दिया जाय।" पर सहमति व्यक्त की है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-148/2018/2405(1)/92-2-2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-चित्रकूट द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- मा0 लोक सेवा आयोगा, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-40/10/5/ए.डी.सी./एस-12/2017-18, दिनांक 01-09-2018 के संदर्भ में।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।